



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()परावि/प्रशा.1/स्था.पद./2019-20/ 449

जयपुर, दिनांक :- 11-2-2022

आयुक्त,
कृषि आयुक्तालय,
राजस्थान, जयपुर


विषय:- कृषि विभाग के अभियन्ताओं का विभाग के अधीन स्थानान्तरण/
पदस्थापन किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- आपके आदेश क्रमांक 26063-26162 दिनांक 23.12.2020 तथा आदेश
क्रमांक 26538-26688 दिनांक 31.12.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रासांगिक आदेश के द्वारा बिना विभाग की अनुमति के कृषि विभाग के अभियन्ताओं का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी किया जाकर उन्हे विभाग के अधीन पंचायत समितियों/जिला परिषदों में पदस्थापित किया गया है।

इस संबंध में लेख है कि पूर्व में विभागीय पत्रों/अ.शा. पत्रों द्वारा आपको बिना विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के विभाग के पदों पर पदस्थापन नहीं कराये जाने हेतु लिखा गया है।


अतः इस संबंध में पुनः आपको स्मरण कराया जाकर लेख है कि बिना विभाग की पूर्वानुमति/अनापत्ति के कृषि विभाग के अभियन्ताओं को विभाग के अधीन जिला परिषद/पंचायत समिति में पदस्थापित नहीं किया जावे।


(मंजू राजपाल)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, कृषि एवं पंचायती राज (कृषि), कृषि (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया बिना विभाग की पूर्वानुमति/अनापत्ति के कृषि विभाग के अभियन्ताओं को विभाग के अधीन जिला परिषद/पंचायत समिति में पदस्थापित नहीं करावें।
2. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)